

हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूति विभाग

आदेश

दिनांक 20 जुलाई, 1999

संख्या का० आ० 168/पै० उ० (उ० म० और प्र० २०२०) आ० 99/ख० 9/99.
पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव) आदेश, 1999 के
खण्ड 9 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके
द्वारा, खाद्य तथा पूति विभाग, हरियाणा के सभी अधिकारियों को, जो जिला खाद्य
एवं पूति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हों, के उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत
करते हैं।

एच० सी० बिसोदिया,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य तथा पूति विभाग।